न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 52 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. अमराराम पुत्र सवाराम
2. डायाराम पुत्र उत्तमाराम
3. तगाराम पुत्र उत्तमाराम
4. नकलाराम पुत्र उत्तमाराम
5. पारसमल पुत्र उत्तमाराम
6. भीखाराम पुत्र सवाराम
7. मीठाराम पुत्र सवाराम
8. वींजाराम पुत्र सवाराम जाति नाई निवासीगण थापन तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.भुदराराम पुत्र हकमाराम जाति नाई निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाड़मेर राज.
2.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
3.मैनेजर एस बी आई शाखा सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 42 / 2020 बअनवान भुदराराम बनाम अमराराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री कैलाश पुरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नरपतसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 06.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेंट की ग्राम थापन में स्थित खेत खसरा संख्या 1082 / 572 के खातेदार है ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर अपने खेत तक जाने के लिये खसरा नम्बर 571 में से होकर रास्ता प्रदान करने हेतु अपीलकर्तागण को पक्षकार बनाकर रास्ते की मांग की। जबाव में संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट'ब' में दर्शाया बरंग लाल रास्ता प्रार्थीगण के काकाई भाई ढलाराम के खेत खसरा संख्या 1084 / 572 से होते हुए आगे खसरा संख्या 936 / 110 की माठ—माठ होकर लगता मौजूद हैं, तथा उसी रास्ते से प्रार्थीगण आवागमन विगत पीढ़ियों से आ रहे हैं। जो रास्ता पीढीयों पुराना स्थित है जो बरंग लाल रास्ता से दर्शाया गया है। जो मौके पर चालु हालात में है। जो मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है फिर भी प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उसके उपरान्त दोराने विचारण प्रार्थीगण के भाई ढलाराम ने अपने खेत खसरा संख्या 1084 / 572 मे से होकर निशुल्क रास्ता प्रदान करने हेतु प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) सी पी सी के तहत पेश कर रास्ता देने की सहमती दी तथा अपीलकर्ता ने भी उक्त रास्ता बरंग लाल अपने खेत के बदीशा

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

उतरी माठ होकर सशुल्क रास्ता दिए जाने कि सहमती प्रदान की फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन प्रस्तावित रास्ता प्रदान किया गया जो न्यायोचित नहीं है। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण के भाई ढलाराम ने अपने खेत खसरा संख्या 1084/572 मे से होकर निशुल्क रास्ता प्रदान करने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) सी पी सी के तहत पेश कर रास्ता देने की सहमती दी तथा अपीलकर्ता ने भी उक्त रास्ता वरंग लाल अपने खेत के बदीशा उतरी माठ होकर सशुल्क रास्ता दिए जाने कि सहमती प्रदान की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1082/572 ग्राम थापन में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। मौका फर्द दिनांक 19.12.2020 में स्पष्ट किया गया है कि प्रदत्त अपीलाधीन रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेत से कटाण मार्ग तक पहुंचने का अन्य कोई नजदीक विकल्प नहीं है तथा संलग्न नक्शे दर्शित बिन्दु ए से बी रास्ता ही निकटतम दूरी का रास्ता है। अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांट की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 42/2020 बअनवान भुदराराम बनाम अमराराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार डाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर